


25/06/25

D.8.
कमला अलारिया, सदस्य
श्री. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य

वकील अपीलान्त व अपीलान्त
के बार-बार रुक-रुक कर आवाजे
भगवति गई। धावनूट आवाजे कोई उपस्थित
नहीं। अतः पत्रावली अडम हाजरी व अडम
केरकी के श्वारिज से जाली है। पत्रावली
बाद कार्यवाही दायित्व कप्तान है।

श्री. शिव प्रसाद सिंह के

सुनाया गया।


सदस्य

कमला अलारिया

सदस्य



शिव प्रसाद सिंह

सदस्य